



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49170

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3338 वर्ष 2026

संत लाल बिंद (सेवानिवृत्त संग्रह अमीन) और एक अन्य याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. बिल्कुल आरंभ में, रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी वर्तमान याचिका को नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की मांग करते हैं, जिसमें सी. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 12804 वर्ष 2015 में इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निबंधनों में दिनांक 03.07.2006 से आज तक याचियों को सेवाओं के नियमितीकरण के लाभ का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की चुनौती उठाई गई है, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका को उचित रूप से गठित नहीं किया गया है।
2. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर रिट याचिका खारिज की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आशु

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।